## Revised Certificate Order 15/2014 Dated 25-11-2014 FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No: 3/2018

Deted: 25 May, 2018

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.50 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Shri R.K.Soni, Executive Engineer, P.W.D. Div. Shahabad (name of user agency) for Contruction of Road Work From Bhawargarh to Ranwasi (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Bhanwargarh, Ramnagar@Nayagaon and Ranwasi village(3) in Kishanganj tehsil.

## It is Further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.50 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (A) to annexure(C).
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl: As above.

Signature

(Dr. S.P. Singh)

President of District Level committees & District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं ज़िला कलक्टर जिला स्तरीय बनाधिकार समिति, बारी

कमांक / शेडर / डी०एम० / वनाधिकार / 18 / श्रा T

दिनांक-25.05.2018

## जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक दिनांक 25.05.2018 कार्यवाहीं विवरण

आज दिनांक 25.05.2018 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आद्दत की गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद द्वारा वनमूमि मॅवरगढ से रनवासी सड़क प्रत्यावर्तन के लिये जारी प्रमाण पत्र संख्या 15/2014 में प्रस्तावित भूमि 2.49 हैं0 के स्थान पर 2.50 हैं0 का संशाधित प्रमाण पत्र जाने पर प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। यह संशोधित प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, खांखरा ग्राम पंचायत, खांखरा पंचायत समिति, किशनगंज द्वारा प्रस्ताव संख्या—2 दिनांक 22.5.2018 की बैटक में अनुमोदित कर, उपखण्ड स्तरीय बनाधिकार समित, किशनगंज को अग्रेषित किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय बनाधिकार समिति, किशनगंज द्वारा संशोधित प्रस्ताब को दिनांक 24.05.2018 को अनुमोदित किया गया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गंबरगढ से रनवासी सड़क वनभूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड द्वारा द्वारा संशोधित प्रस्ताव पर अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म—1) में संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	24.05.2018			
ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों/ग्राम सभा की बैठक दिनांक	22.05.2018	1 1	(रामजीवन मीना) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन परियोजना अधिकारी—माडा जिला परिषद्,बारां	
प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में) रकबा	2.50	h	(रामजी आतिरिक्त मुख पदेन परियोजना अधि	(निर्मला मीना ) सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां
ग्राम पंनायत अधीन वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत	खांखरा खांखरा	Col	(राजीव कमर) उस्तिवन स्रक्षिक	सदस
उपखण्ड का नाम	किशनगंज			क्षामुरारी मीमा । मा स्तरीय वनाधिकार
का नाम प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	अभियंता, मॅंवरगढ से रनवासी सड़क का खण्ड संधोशित अनापित्ते	त हुई।	(डॉ० एस.पी. सिंह) अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर बारां	क्रिजा (कृष्णमुरारी सदस्य, जिला स्तरीय
यूजर एजेन्सी का नाम	अधिशाषी 3 सा०नि०नि० शाहबाद	बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई		
<b>本</b> 0年i0	<del>-</del>	वैदक् स		

०९/ डी०एम० / वनाधिकार / 18/

— को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है— 1— अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।

2. उप वन सरक्षक, बारां

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां

5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज 4. उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभागा, खण्ड शाहबाद 7. श्री कृष्णमुरारी मीणा, सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता—ग्राम टिगरी,

पोस्ट-हानीहेडा, तहसील-अटक जिला-बारा

8. श्रीमती निर्मलाकुमारी मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता— भीलों का मौहल्ला ग्राम व पोस्ट— मूडला बिसौती, तहसील—अटरू जिला—बारां 9. श्रीमती सरोज मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता— ग्राम मोरेली, पोस्ट—सेमली, तहसील—छबडा जिला—बारां

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी(माडा) जिला परिषद, बारां

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 🥸 🛌 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें ग्राम स्तरीय बनाधिकार समिति से बन क्षेत्र उसको उपखण्ड रतरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनधिकारों की मान्यता) में पड़ने वाली सड़क भवरगढ़ से रनवासी सड़क के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या.......... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषाकी जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन वन एवं गेर वन भूमि का अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उवत प्रस्तावित वनमूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है।

2.95 हेक्टेयर	2.50 हेक्टेयर		500
2.95	2.50	रवारवरा	
सड़क के एलाइनमेंट में पढ़ने वाली गैर वन मूमि का विवरण हेक्टेयर में	सङ्क के एलाइनमेंट में पढ़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	याम का नाम	क्रमाक

May,

ort) 10EI am. Vas

of

प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से हैं। उक्त प्रस्ताव ग्राम समा के रजिस्टर में क्रमांक....? एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि आज दिनांक 22 1051 2016 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मिति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषाकी जाती है। सड़क के पर इन्दाज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी। पड़ने वाली सड़क भंवरगढ़ से

д	( <del>0</del>		क्रमाक
िनुस्तर्या हैती: सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत स्थास्त्रस्य पंचायत समिति शास्त्राबाद क्या द्वारो	24	खाखरा	क ग्राम का नाम
प्राथिति प्राधिकार्यः	2.50 ਫੇਰਟੇਪਾ	2.50	सड़क के एलाइनमेंट में पढ़ने वाली वन भूभि का विवरण हेक्टेयर में
	2.95 हेक्टेयर	2.95	सड़क के एलाइनमेंट में पढ़ने वाली गैर वन मूमि का विवरण हेक्टेयर में